

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
जीउ/1 अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर  
क्रमांक:-एफ15( ) सा.सु./ शिक्षा.नि./सान्धारणी/22/ ५८०१६

जयपुर दिनांक १९ १०९ २२

### अभिरुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

राज्य में भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने, उनको स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से भिक्षावृति में लिप्त व्यक्तियों का पुनर्वास हेतु “राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास नियम, 2020” के अनुसार जयपुर मुख्यालय पर 04 पुनर्वास गृहों (उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम) का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य सरकार उक्त योजना में स्वयं सेवी संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत भिखारियों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत/रुचि रखने वाली प्रतिष्ठित एवं आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ पंजीकृत स्वयं सेवी संस्थाओं/ट्रस्टों से शर्तों के साथ “अभिरुचि की अभिव्यक्ति” जारी कर प्रस्ताव आमन्त्रित करते हैं। इच्छुक स्वयं सेवी संस्था/ट्रस्ट अपना आवेदन पत्र, दिनांक 30 सितम्बर, 2022 तक कार्यालय, उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर(शहर) को प्रस्तुत करेंगे।

#### पुनर्वास गृहों की शर्तें:-

- 1 “राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास नियम, 2020” के अनुसार जयपुर मुख्यालय पर 04 पुनर्वास गृहों (उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम) का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित कियें जायेंगे।
- 2 प्रत्येक पुनर्वास गृह की स्वीकृत क्षमता 100 होगी, जिसमें महिला व पुरुष के रहवास की अलग-अलग व्यवस्था होगी।
- 3 पुनर्वास गृह संचालन के लिए राजकीय भवन या नगर निगम द्वारा आंबटित रैन बसेरों या किरायें के भवन के लिए निर्धारित किराया देय होगा।
- 4 पुनर्वास गृह संचालित स्वयं सेवी संस्था को 2500 रुपये प्रति आवासी प्रति माह भोजन, वस्त्र आदि के लिए देय होंगे।

- 5 पुनर्वास गृह संचालित स्वयं सेवी संस्था को आवासीय कौशल प्रशिक्षण हेतु राजस्थान कौशल आजीविका एवं विकास निगम की दर (36 रुपये 30 पैसे प्रति घंटा प्रति प्रशिक्षाणार्थी) से देय होगी।
- 6 प्रत्येक पुनर्वास गृह के आवर्तक एवं अनावर्तक सामान के क्रय के लिए प्रति पॉच वर्ष के लिए वित्त विभाग द्वारा निर्धारित राशि देय होगी।

अतिरिक्त जानकारी के लिए कार्यालय, उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर(शहर) दूरभाष नं. 0141-2786442 में सम्पर्क एवं विभागीय वेब साईट [sje.rajasthan.gov.in](http://sje.rajasthan.gov.in) पर जानकारी ली जा सकती है।

*(Signature)*  
(हरि मोहन मीना)

क्रमांक:-एफ15( ) सा.सु / भिक्षा.नि./सान्यासवि/22/ 5-6017 - 22 जयपुर दिनांक 19/09/22  
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1 निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज0 जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त अभिरुचि की अभिव्यक्ति को राज्य स्तर के दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशन करावें।
- 2 निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0 जयपुर।
- 4 उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर (शहर) को भेजकर लेख है कि उक्त अभिरुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 5 सहायक निदेशक (प्रचार), मुख्यावास।
- 6 रक्षित पत्रावली।

*(Signature)*  
अतिरिक्त निदेशक (सा.सु)

**राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के पुर्नवास नियम, 2020 के  
तहत पुर्नवास गृह संचालन हेतु आवेदन पत्र**

- 1 संगठन/संस्था का नाम :  
पता :  
  
फोन नम्बर :  
मोबाईल नम्बर :  
फैक्स :  
  
2 किस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड है :  
रजिस्ट्रेशन संख्या व रजिस्ट्रेशन की तारीख :  
व विधान एवं उद्देश्यों की प्रति (सत्यापित  
प्रति लगाएं)  
  
3 विदेशी अभिदाय अधिनियम के अंतर्गत :  
रजिस्ट्रेशन (यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में  
प्राप्त सहायता का सत्यापित विवरण)  
  
4 प्रबंध मंडल/शासी निकाय के सदस्यों के :  
नाम एवं पता तथा वर्तमान प्रबंध मंडल  
के गठन की तारीख (सत्यापित प्रतियाँ)  
  
5 संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची :  
(1) पिछले 3 वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट की  
प्रति जिसमें तुलनापत्र हो  
(2) संगठन/संस्था द्वारा पिछले 3 वर्षों की  
प्राप्ति व भुगतान लेखा (आय-व्यय  
का सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित  
लेखे)  
  
6 संस्था की चल व अचल सम्पत्तियों का :  
प्रमाणित ब्यौरा  
  
7 परियोजना का विस्तृत विवरण (प्रोजेक्ट :  
रिपोर्ट)  
(1) क्षेत्र जहाँ परियोजना प्रारम्भ की :  
जानी है अथवा की जा रही है, उस  
क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का विवरण  
  
(2) समिलित किए जाने वाले लाभार्थियों :  
का लक्ष्य समूह (महिला/पुरुष)। यदि  
केव्वल महिलाओं व पुरुषों दोनों के  
लिए है तो उनके रहने की  
पृथक्-पृथक् व्यवस्था की विवरण।  
(परियोजना के मानचित्र में पृथक्-  
पृथक् दर्शाया जाये)

(3) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के :  
अन्य विभागों से ऐसी परियोजना के  
लिए प्राप्त अनुदानों का विवरण (यदि  
कोई हो)

8 संस्था का बैंक खाता संख्या बैंक के : 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

  
नाम व स्थान सहित )

9 नियोजित स्टाफ का विवरण (नाम, पद, :  
आयु, शैक्षणिक योग्यता, प्रदान किये जा  
रहे मानदेय का विवरण)

10 संस्था द्वारा आहरण-वितरण हेतु प्राधिकृत :  
पदाधिकारी का नाम, पता, दूरभाष संख्या  
के साथ ही इन्हें इस कार्य हेतु प्राधिकृत  
किये जाने के सम्बन्ध में संस्था द्वारा  
पारित प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति

हस्ताक्षर (प्राधिकृत पदाधिकारी) :

नाम :

पता/मोहर :

तारीख :

---

### शपथ-पत्र

मैंने इस योजना को पढ़ लिया है और मैं उसकी अपेक्षाओं व शर्तों को पूरा  
करता/करती हूँ। मैं इस योजना की सभी शर्तों का अनुपालन करने का वचन देता/देती हूँ।

हस्ताक्षर (प्राधिकृत पदाधिकारी):

नाम :

पता/मोहर :

तारीख :